न्यायालय– सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी, जिला– पाली (राज0)

पिठासीन अधिकारी– श्री हँसमुख कुमार (R.A.S.)
राजस्व विविध मु0संख्या–53/2014
निर्णय तारीख– 28/11/2018

प्रार्थीगणः– बनाम– **अप्रार्थीगण :–**

खरताराम व अन्य चौथमल व अन्य

–: प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 212 राज0 काश्त0 अधिनियम,1955 :–
सपठित आदेश– 39 नियम 1 व 2 व्यवहार प्रकिया सहिता

–: निर्णय :– दिनांक– 28/11/2018

प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र का जबाब अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 एवं अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से प्रस्तुत किये जो रिकार्ड पर लिये गये एवं प्रकरण हाजा मे बहस वकुलाय समायत की गई। प्रतिवादी सं0–3 की ओर से वकील प्रतिवादी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत की गई, जो शामिल मिसल की गई।

वकील वादी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के तथ्यो को दौहराते हुए अपनी बहस मे निवेदन किया कि मौजा सरहद ग्राम मेवीकला मे स्थित आराजियात पुराने खसरा नम्बर– 111 एवं 113 कुल योग रकाब– 236 बीघा 15 विस्वा के चौथे बंट मे यौथमल का 1/3 हिस्सा, फतेहचंद का 1/3 अर्थत कुल मे 1/12 वा हिस्सा प्रत्येक का, भूरा वल्द गुला कुम्हार हिस्सा 1/3 अर्थात कुल मे 1/12 हिस्सा, टीकम वल्द डाया लवार हिस्सा 1/8, नथा वल्द नवला सरगरा हिस्सा 1/8, केसा वल्द मेरा भाम्बी हिस्सा 1/4, भीमला वल्द धन्ना हिस्सा 1/4 रहे है। यह हिस्सा पुराने खसरा नम्बरो के आधार पर बनी अंतिम खतौनी सम्वत् 2034 से 2037 अनुसार रहा है इसके पश्चात मेवी कला मे भू–प्रबन्ध की कार्यवाही अमल मे आयी तब मौके पर पैमाईश हुई व मौके पर अलग अलग बंट किये हुए थे, जिससे इन दोनो खसरा नम्बरो के नये खसरा नम्बर– 1 लगाय– 10 दर्ज किये गये जिसमे से खसरा नम्बर–5 रकबा– 6.20 हैक्टर जो प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 का शामलाती था जो कुल रकबे का 1/6 हिस्सा होता है प्रत्यार्थी सं0– 1 व 2 की खातेदारी का दर्ज किया गया। कुल 236 बीघा 15 विस्वा का हैक्टर मे रकबा– 39.459 हैक्टर लगभग होता है, जिसमे प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 का रकबा– 6.57 आता है किन्तु मौके पर रकबा–6.20 हैक्टर का होने से खसरा नम्बर– 5 का रकबा उनके नाम दर्ज किया गया व शेष रकबा दिगर खातेदारान का रहा। प्रार्थी संख्या–1 का कुल आराजियात मे 1/8 हिस्सा विद्यमान रहा है जिसका रकबा– 29.60 बीघ अर्थात 4.735 हैक्टर आता है तदनुसार मौके पर प्रार्थी संख्या–1 का नये खसरा नम्बर– 4 के 1.23 हैक्टर व शेष 3.51 हैक्टर पर प्रार्थी संख्या–1 का काश्त कब्जा सुदा रहा है, जिसमे 3.51 हैक्टर पर प्रार्थी संख्या–1 काश्त करता है व 1.23 हैक्टर ग्राम के पशुओ के लिये चरने हेतू छोड रखा है खसरा नम्बर– 4 मे से 0.77 हैक्टर कदीमी रास्ते की जमीन है जो आम रास्ता आवागमन का है, जिसको गलत रूपेण भू–प्रबंध विभाग ने खातेदारी का दर्ज किया है, जिससे जुडती बरी की सरहद है जिसमे प्रार्थी सं0–2 का बेरा आया हुआ है। नये खसरा नम्बर– 5 रकबा– 6.20 हैक्टर जो प्रत्यार्थी संख्या–1 की पुरानी खातेदारी की थी वो उन्होने पुखा पुत्र गणेश रकबा– 3.20 हैक्टर व 3.00 हैक्टर मसुन्दरसिंह व सूरजकंवर को बेचान कर दी । प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 भू–प्रबन्ध विभाग के कर्मचारियो से खसरा नम्बर–' 4 रकबा– 2.00 हैक्टर भी भी गलत रूपेण अपने नाम दर्ज करवा दी, जिसमे 1.23 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या–1 की व 0.77 हैक्टर कदीमी रास्ते की भूमि है, जिसका पर्चा लगान कत्तई प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 ने गलत अपने नाम जारी करवाया है एवं गलत इन्द्राज का फायदा उठा कर इस नये खसरा नम्बर– 4 रकबा– 2.00 हैक्टर को प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 ने प्रत्यार्थी संख्या–3 को अन्तरित कर दिया है, जैसा करने का प्रत्यार्थी संख्या–1 व 2 को कोई अधिकार नही है। अब प्रत्यार्थी संख्या–3 इस भूमि पर अतिक्रमण कर तारबंदी करने पर आमादा है तथा अपने पति की भूमि खसरा नम्बर–5 मे मिलाने के प्रयास मे है। ऐसी स्थिति मे प्रार्थीगण ने गलत इन्द्राजात भूमि खसरा नम्बर– 4 रकबा– 2.00 हैक्टर मे से 1.23 हैक्टर भूमि प्रार्थी संख्या–1 की खातेदारी की घोषित कराने व 0.77 हैक्टर भूमि मौके पर कदीमी रास्ते की भूमि घोषित कराने हेतू व स्थाई व सादेश निषेधाज्ञा

—क्रमशः पेज– 2 पर......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

जारी करने हेतू अप्रार्थी संख्या–3 ने अपने पति के सहयोग से मौके पर कब्जा कर लिया व तारबंदी कर दी तो वाद का मकसद ही समाप्त हो जावेगा व प्रार्थीगण को असाध्य क्षति होगी ऐसी स्थिति मे प्रत्यार्थीगण संख्या–1 लगाय– 3 को ऐसा करने से तुरन्त रोका जाना नितांत आवश्यक हो गया है बेलेन्स आफ कनविविनियेन्स भी प्रार्थीगण के पक्ष मे है मौके पर रास्ता अवरूद्ध हो जावेगा व मौके पर विवाद होगे व मुकदमे बाजी होगी अतः मूल वाद के निस्तारण तक वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 4 की 1.23 हैक्टर कब्जा सुदा मे किसी भी रूपेण दखलन्दाजी करने एवं 0.77 हैक्टर भूमि जो मौके पर कदीमी रास्ता भूमि है, उसमे रूकावट पैदा करने से अप्रार्थीगण संख्या–1 सें 3 को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा के रोका जावे।

अप्रार्थी संख्या–3 की ओर से वकील अप्रार्थी द्वारा लिखित बहस प्रस्तुत कर निवेदन किया कि– मौजा सरहद ग्राम– मेवीकला, तहसील–देसूरी स्थित पुराने खसरा नम्बर– 111 व 113 की आराजियात का मौके पर इनके उस समय के सह खातेदारान के मध्य गत सेटलमेंट के काफी अर्सा पहले से ही आपसी सहमति एवं रजामंदी से बंटवाडा कर लिया था एवं उस समय मौका स्थिति एवं उपजाउता व कम उपजाउता (जाडी–पतली भूमि) के हिसाब से बंटवाडा मे आपसी सहमति से कम–ज्यादा भूमियां रखी हुई थी एवं मौके पर पृथक– पृथक अपने अपने बंट पर कब्जा काश्त चला आ रहा था एवं अलग अलग बाड, धोरा माट किये हुए थे , जिससे नया सेटलमेंट होने पर उपरोक्तानुसार पूर्व मे हुए बंटवाडा व मौके पर पृथक– पृथक कब्जा काश्त अनुसार उक्त पुराने खसरान की आराजियात के नये खसरा नम्बर बनाये जाकर चूँकि मौके पर पूर्व मे ही आपसी सहमति एवं रजामंदी से बंटवाडा किया हुआ था एवं सभी अपने अपने बंट पर पृथक–पृथक काबिज थे एवं प्रार्थीगण स्वयं अपने प्रार्थना–पत्र के पैरा–2 मे स्वीकार कर रहे है कि " भू–प्रबन्ध विभाग ने मौके पर पैमाईश की पैमाईश के दौरान मौके पर अलग अलग बंट किये हुए थे" जिससे दौराने सेटलमेंट के उसी अनुसार सेटलमेंट विभाग द्वारा 30 वर्षो पहले खातेदारान की उपस्थिति मे पैमाईश की जाकर मौके पर अलग अलग बंट किये हुए अनुसार मौके पर कब्जा काश्त अनुसार खातेदारो की सहमति से सेटलमेंट विभाग द्वारा नियमानुसार खसरा परिशोधन पत्रक तैयार किये जाकर मिसल बन्दोवस्त पृथक–पृथक बनाई जाकर पृथक – पृथक खातेदारी प्रदत्त की गई, जिसे 30 वर्षो से भी अधिक का अर्सा व्यतीत हो गया है। जिस अनुसार पुराने खसरा नम्बर– 111 व 113 की प्रार्थी के पिता नथा के बंट व कब्जा की भूमि के नये खसरा नम्बर–6 रकबा 3.51 हैक्टर उनके नाम खातेदारी दर्ज की गई एवं इसी प्रकार पुराने खसरा नम्बर– 111 व 113 की अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 के बंट एवं आधिपत्य की भूमि के अन्य नये खसरा सं0–5 के साथ नये खसरा नम्बर– 4 रकबा–2.00 हैक्टर अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की खातेदारी की दर्ज की गई तब से इस पर बहैसियत खातेदार के अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 का कब्जा काश्त लगातार पिछले 30 वर्षो से अधिक समय से चला आया है जिस दौरान कभी भी कोई उजर एतराज आपत्ति प्रार्थीगण या किसी अन्य के द्वारा नही किया गया एवं न ही किसी प्रकार से कोई चुनौति ही दी गई। जो कि प्रस्तुत राजस्व अभिलेख सेटलमेंट विभाग के खसरा परिशोधन पत्रक एवं पर्चा लगानो, मिसलबन्दोवस्त , रिकार्ड आफ राईटस् सम्वत् 2041 से आज तक की जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियों आदि से स्पष्ट प्रमाणित है। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर–4 रकबा–2.00 हैक्टर सम्वत् 2041 से लगातार अप्रार्थीगण संख्या–1 व 2 की खातेदारी आधिपत्य की थी (जो कि पुराने ख0न0 111 व 113 की अपार्थी संख्या–1 व 2 के खातेदारी हिस्से की इनके बंट आधिपत्य की भूमि का भाग है) जो अप्रार्थी संख्या–1 व 2 द्वारा बहैसियत रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट के बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख दिनांक– 26/04/2013 के अप्रार्थी संख्या–3 को बएवज प्रतिफल राशि प्राप्त कर विकय कर कब्जा अप्रार्थी सं0– 3 को सुपुर्द किया तब से इस वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर– 4 रकाब–2.00 हैक्टर पर बहैसियत खातेदार के निर्विवाद रिकार्डली विधिक कब्जा काश्त अप्रार्थी संख्या–3 का चला आ रहा है, जिसकी अप्रार्थी सं0–3 विधिक कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है, जो प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य रिकार्ड आफ राईटस् जमाबंदियों से एवं रजिस्टर्ड विकय विलेख से स्पष्ट साबित है एवं रिकार्डेड खातेदारो से बजरिये रजिस्टर्ड विकय विलेख के खरीद सुदा अप्रार्थी संख्या–3 सद्भावी केता (बोनाफाईड परचेजर) है। एवं अप्रार्थी संख्या–3 द्वारा इसके तारबंदी यह प्रार्थना प्रस्तुत करने के काफी समय पहले करवाई है, जो मौके पर मौजूद है एवं अप्रर्थी संख्या–3 द्वारा इसमे टयूबवेल खुदवाया व सिंचाई हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त कर फव्वारा सिस्टम से पाईप लाईने बिछाई है एवं बाद खरीद अप्रार्थी सं0–3 द्वारा लाखो रूपये व्यय कर इसे उपजाउ एवं विकसित किया है एवं इस पर अप्रार्थी संख्या–3

——कमशः पेज– 3 पर......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

का बहैसियत खातेदार टिनेन्ट के रिकार्डली विधिक एवं सेटल्ड पजेशन है। मौके पर पूर्व से ही आपसी सहमति से हुए बंट अनुसार ही पुराने खसरा नं0— 111 व 113 की प्रार्थी के पिता के बंट मे रखी हुई उनकी पृथक कब्जा सुदा बंट सुदा जितनी भूमि थी, उसके नये खसरा नम्बर—6 रकबा— 3.51 हैक्टर 30 वर्ष पहले ही खातेदारी की दर्ज होकर इनकी कब्जा सुदा चली आ रही है, जिसका ही प्रार्थी खातेदार हकदार है, जिस संबंध मे पिछले 30 वर्षो की लम्बी समयावधि मे प्रार्थी के पिता या प्रार्थी सं0—1 द्वारा केई कोई आपत्ति नही की गई न कोई चुनौति दी गई है जिससे इतने लम्बे अर्सा बाद अब प्रार्थी कम भूमि का कथन कर मूल वाद एवं यह प्रार्थना—पत्र लाने का अधिकारी नही है। इस कदर संख्या—1 के पिता या प्रार्थी संख्या—1 के खातेदारी हिस्से की कोई भूमि या किसी रास्ता की भूमि अप्रार्थी सं0—3 की खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.00 हैक्टर मे सम्मिलित नही है क्यो कि पुराना खसरा नम्बर— 111 व 113 के नये खसरा नम्बर—4 के अलावा अन्य काफी नये खसरा नम्बर 1,2,3,5,6,7,8,9,10 बने है जो मिलान क्षेत्रफल से स्पष्ट है, जो प्रार्थीगण भी स्वीकार कर रहे है, जिससे यदि प्रार्थी के कथनानुसार पुरान खसरा नम्बर—111 व 113 मे दर्ज प्रार्थी संख्या—1 के पिता के खातेदारी बंट की भूमि के नये बने खसरा नम्बर—6 रकबा— 3.5100 हैक्टर मे कोई कम भूमि दर्ज होना बिना स्वीकारोक्ति के कुछ क्षण के लिये मान भी लिया जावे तो वो उक्त पुराने खसरो से अन्य नये बने खसरा नम्बर 1,2,3,5,7,8,9,10 (नये खसरा नम्बर—6 के पास स्थित) मे गई है या जा सकती है, जबकि खसरा नं0—6 की आराजी, अप्रार्थी संख्या—3 की खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर—4 अलग काफी दूर बररी की सरहद के पास स्थित, मे सम्मिलित या दर्ज होने का प्रश्न ही पैदा नही होता है, जो प्रस्तुत नक्शा ट्रेस से स्पष्ट है। किन्तु प्रार्थी द्वारा उक्त पुराने खसरा नम्बर—111 व 113 से नये बने तमाम खसरान 1 से 10 के मूल खातेदारो व उनके द्वारा हस्तान्तरित किये तमाम वर्तमान खातेदारो को मूल वाद मे एवं इस प्रार्थना—पत्र मे पक्षकार जानबुझ कर प्रार्थीगण ने नही बनाये है, जिसके अभाव मे प्रार्थीगण का मूल वाद एवं यह अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना—पत्र कानूनन मेन्टेनेबल नही होकर काबिज खारिज के है, जिससे प्रार्थीगण , अप्रार्थी सं0—3 की विधिक रूप से बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के खरीद सुदा रिकार्डेड खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.00 हैक्टर मे से कोई भूमि खातेदारी की घोषित करवाने का अधिकारी नही है एवं न ही प्रार्थीगण, अप्रार्थी सं0— 3 की रिकार्डे खातेदारी आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त आराजी मे से कोई रास्ता की भूमि घोषित करवाने के अधिकारी है। एवं रास्ता घोषित करवाने के संबंध मे वाद श्रीमान् राजस्व न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही होकर सिविल न्यायालय के क्षेत्राधिकार का है। वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.00 हैक्टर अप्रार्थी संख्या—3 की खातेदारी आधिपत्य की है एवं इसकी अप्रार्थी संख्या—3 कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है एवं पिछले 30 वर्षो से बहैसियत रिकार्डेड खातेदार के रिकार्डली, निर्विवाद एवं वास्तविक एवं भौतिक रूप से लगातार अप्रार्थी संख्या—1 व 2 का व उनके द्वारा विक्रय करने के पश्चात अप्रार्थी संख्या—3 की लगातार बहैसियत रिकार्डेड खातेदार के निर्विवाद एवं रिकार्डली कब्जा सुदा चली आ रही है। जिससे अप्रार्थी संख्या—1 से 3 द्वारा किसी प्रकार से दखलन्दाजी का प्रश्न ही पैदा नही होता है। प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई क्षति न तो हुई है न होने का ही प्रश्न है। वादग्रस्त आराजी रिकार्डेड खातेदारो से बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विधिवत खरीद सुदा व कब्जा सुदा अप्रार्थी संख्या—3 की रिकार्डेड खातेदारी आधिपत्य की है, जिसकी अप्रार्थी संख्या—3 विधिवत कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख जमाबंदियो से स्पष्ट है। प्रार्थीगण वादग्रस्त आराजी के न तो खातेदार है एवं न ही प्रार्थीगण का कभी कब्जा ही रहा न वर्तमान मे कब्जा है एवं न ही प्रार्थीगण द्वारा कब्जा प्राप्त करने हेतू कोई अनुतोष ही चाहा है, जिससे बिना स्वत्व व बिना कब्जा के प्रार्थीगण, विधिक रूप से कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी संख्या—3 के विरूद्ध किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन धारा—212 के तहत प्राप्त करने का अधिकारी नही है एवं न ही रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी के विरूद्ध कानूनन कोई अस्थायी निषेधाज्ञा पारित ही की जा सकती है। जिसके समर्थन मे समय समय पर पारित न्यायिक निर्णय न्यायिक दृष्टान्तो की प्रतियां प्रस्तुत है।

वकील अप्रार्थी संख्या—3 द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया एवं तर्क दिया कि अप्रार्थी संख्या—3 वादग्रस्त आराजी की जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख के विधिक कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है , जो प्रस्तुत अभिलेखिय दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय विलेख की कोपी एव रिकार्ड ऑफ राईट जमाबंदीयो से स्पष्ट है। एवं विधि का यह सुस्थपित सिद्धान्त है कि रजिस्टर्ड विक्रय

——क्रमश: पेज— 4 पर......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

विलेख के जरिये कब्जा प्रदान किया गया है, उसी का कब्जा होने की उपधारणा की जावेगी व माना जायेगा एवं कब्जे की अवधारणा भी राजस्व अभिलेख रिकार्ड आफ राईटस् जमाबंदी मे दर्ज रिकार्डेड खातेदारो के पक्ष मे ही की जाती है (न्यायिक दृष्टान्त 2014(1) आर.आर.टी.—97) व रिकार्डेड खातेदार को ही कब्जेदार स्वीकार किया जाता है एवं इसके लिए जमाबंदियां श्रेष्ट साक्ष्य है । भू—राजस्व अधिनियम की धारा— 140 के अनुसार जमाबंदी जो कि अधिकार अभिलेख है, उसमे किये गये अंकन जब तक अन्यथा साबित नही हो जाते सत्य ही माने जायेंगे (जिस संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त आर एल डब्लू 2002 रेवे. प्रस्तुत है) धारा— 212 आर0टी0एक्ट के तहत कानूनन विधिक कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेट खातेदार टिनेन्ट के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती। जिस संबंध मे न्यायिक दृष्टान्त प्रस्तुत बहस के साथ प्रस्तुत किये है।

उक्त सारी वास्तविकता को छिपाते हुए प्रार्थीगण श्रीमान् न्यायालय को गुमराह कर रिकार्डेड विधिक कब्जा प्राप्त सुदा खातेदार व कब्जेदार अप्रार्थी संख्या—3 को उसकी खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी के उपयोग से वंचित रखने की बदनियत से द्वेषभावना से रोके जाने हेतू अप्रार्थी सं0—3 की खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी नये खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.00 हैक्टर मे से 1.23 हैक्टर काश्त व कब्जा सुदा में किसी भी रूपेण दखलन्दाजी नही करने हेतू व प्रार्थी सं0—1 को कास्त करने देने हेतू व तारबंदी करने से रोके जाने हेतू अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करना चाहते है, जबकि अप्रार्थी संख्या 3 तीन चम्पादेवी मूल वाद एवं इस प्रार्थना—पत्र प्रस्तुत करने के पूर्व से एवं प्रस्तुत करने के समय एवं पश्चात् आज तक वादग्रस्त आराजी पर बहैसियत रिकार्डेड खातेदार काबिज है एवं तारबंदी भी पहले से ही अप्रार्थी द्वारा करवाई हुई है एवं टयूबवेल खुदवाया हुआ है सरकारी अनुदान से फव्वारा सिस्टम सिंचाई हेतू अप्रार्थी का लगाया हुआ है एवं बहैसियत रिकार्डेड खातेदार के अपने हक अधिकारो के तहत उपयोग उपभोग करती आ रही है, जो प्रस्तुत राजस्व अभिलेख रिकार्ड आफ राईटस् जमाबंदीयों एवं रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से स्पष्ट साबित है, जिससे कानूनन प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना—पत्र निर्रथक है। अप्रार्थी सं0—3 को अपनी खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी का बहैसियत खातेदार मालिक के उपयोग उपभोग करने का विधिक अधिकार है, जिससे कानूनन धारा—212 के तहत अस्थायी व्यादेश जारी कर अप्रार्थी को वंचित नही किया जा सकता है।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस मे यह भी निवेदन किया एवं तर्क दिया कि धारा— 212 आर0टी0एक्ट के निर्णय में वर्तमान राजस्व अभिलेख को ही देखा जावेगा। वादीगण द्वारा जिस आधार पर मूल वाद दायरा किया है, उसके संबंध में साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर ही मूल वाद मे निर्णय किया जावेगा। आज की स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। (आरआरटी 2013(2)— 828) वादग्रस्त आराजी की अप्रार्थी विधिक कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार है, जो प्रस्तुत राजस्व रिकार्ड जमाबंदियों की प्रतियो से स्पष्टतया साबित है, जिससे कानूनन विधिक रूप से कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार अप्रार्थी सं0—3 के विरूद्ध धारा—212 के तहत किसी प्रकार की कोई अस्थायी निषेधाज्ञा कानूनन जारी नही की जा सकती है। एवं धारा—212 के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतू प्रार्थीगण को प्रश्नगत भूमि पर कानूनन अपना कब्जा साबित करना होता है, किन्तु प्रार्थीगण द्वारा उनका कब्जा साबित करने हेतू कोई विधिक दस्तावेज पेश नही किया है इसके विपरित वादग्रस्त भूमि पर अभिलेखिय साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय विलेख एवं रिकार्ड आफ राईट जमाबंदी अनुसार अप्रार्थीनी सं0—3 का बहैसियत खातेदार विधिक कब्जा साबित है एवं प्रार्थीगण द्वारा अपना मामला विधिक दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नही करवाया है । प्रार्थीगण को किसी प्रकार से कोई क्षति होने का भी प्रश्न पैदा नही होता है। अप्रार्थी संख्या—3 को उसकी खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी का बहैसियत खातेदार के उपयोग उपभोग करने से कानूनन किसी प्रकार से वंचित नही किया जा सकता है। यदि अप्रार्थी सं0—3 के के विरूद्ध कोई अस्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो अप्रार्थी संख्या—3 के विधिक एवं जायज हक अधिकारो का हनन होगा एवं अप्रार्थी संख्या—3 अपनी खातेदारी आधिपत्य की आराजी का उपयोग से महरूम एवं वंचित हो जावेगी, एवं रोजी रोजगार से वंचित रह जावेगी ,जिससे अप्रार्थी संख्या—3 को अकथनीय क्षति होगी, जिसकी पूर्ति नही की जा सकेगी एंव अप्रार्थी संख्या—3 के साथ अन्याय होगा। इस प्रकार किसी भी प्रकार से प्रार्थीगण का प्रथम दृष्टया मामला साबित नही होता है एवं सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त भी प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। इस कदर अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करने हेतू आवश्यक उक्त तीनो ही घटक व बिन्दु

——क्रमश: पेज— 5 पर......

उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णनीय क्षति का सिद्धान्त प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है। इसके विपरित अप्रार्थी संख्या—3 विधिक रूप से कब्जा प्राप्त सुदा रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट है, जो प्रस्तुत अभिलेखिय साक्ष्य से स्पष्ट साबित है अतः प्रार्थीगण का यह अस्थायी व्यादेश का प्रार्थना—पत्र अस्वीकार किया जाकर सव्यय खारिज फरमाया जावे।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। एवं वकुलाय फरीकेन की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख सेटलमेंट विभाग के खसरा परिशोधन पत्रक एवं पर्चा लगानो, मिसलबन्दोवस्त , रिकार्ड आफ राईटस् सम्वत् 2041 से आज तक की जमाबंदियों की प्रमाणित प्रतियों आदि से मेरी विनम्र राय मे वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर—4 रकबा—2.00 हैक्टर सम्वत् 2041 से लगातार अप्रार्थीगण संख्या—1 व 2 की खातेदारी आधिपत्य की होना एवं अप्रार्थीगण संख्या—1 व 2 द्वारा बहैसियत रिकार्डेड खातेदार टिनेन्ट के बजरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख दिनांक— 26/04/2013 के अप्रार्थी संख्या—3 को बएवज प्रतिफल राशि प्राप्त विक्रय करना एवं कब्जा अप्रार्थी सं0— 3 को सुपुर्द किया किया जाना उक्त रजिस्टर्ड विक्रय विलेख से साबित होता है एवं इसके रिकार्ड आफ राईटस् जमाबंदियों से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा—2.00 हैक्टर अप्रार्थी संख्या—3 की खातेदारी आधिपत्य की होना साबित होता है एवं अप्रार्थी संख्या—3 रिकार्डेड खातेदार है, जो इसके राजस्व अभिलेख जमाबंदियो से साबित है। एवं अप्रार्थी संख्या—3 का यह कथन कि अप्रार्थी संख्या—3 द्वारा बहैसियत खातेदार के अपनी खातेदारी आधिपत्य की वादग्रस्त आराजी के अप्रार्थीया द्वारा तारबंदी यह प्रार्थना प्रस्तुत करने के काफी समय पहले करवाई है, जो मौके पर मौजूद है एवं अप्रर्थी संख्या—3 द्वारा इसमे टयूबवेल खुदवाया व सिंचाई हेतु सरकार से अनुदान प्राप्त कर फव्वारा सिस्टम से पाईप लाईने बिछाई है एवं बाद खरीद अप्रार्थी सं0—3 द्वारा लाखो रूपये व्यय कर इसे उपजाउ एवं विकसित किया है। इसके विपरित प्रार्थीगण द्वारा वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.00 हैक्टर मे से रकबा— 1.23 हैक्टर पर कब्जा होना बता रहे है, उस संबंध मे ऐसी कोई अभिलेखिय साक्ष्य दस्तावेज पेश नही किये है, जिससे प्रार्थी के कथन की ताईद करता हो। एवं मेरी राय मे धारा— 212 आर0टी0एक्ट के निर्णय में वर्तमान राजस्व अभिलेख को ही देखा जाना है प्रार्थीगण द्वारा जिस आधार पर मूल वाद दायरा किया है, उसके संबंध में साक्ष्य एवं दस्तावेजात के आधार पर ही मूल वाद मे गुणावगुण पर निर्णय किया जा सकेगा एवं आज की स्थिति में खातेदार के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्याय संगत नही होगा एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य रजिस्टर्ड विक्रय विलेख, जमाबंदियो से वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर— 4 रकबा— 2.0000 हैक्टर की खातेदार अप्रार्थी संख्या—3 होना प्रथम दृष्टया साबित होता है एवं जमाबंदी अनुसार कब्जे की अवधारणा भी रिकार्डेड खातेदार का कब्जा होने की की जाती है एवं वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस के साथ जो न्यायिक दृष्ट्रान्त प्रस्तुत किये है, जिनका अवलोकन एवं मनन किया।

उपरोक्त विवेचन अनुसार मेरी राय मे अप्रार्थी संख्या—3 इसके रिकार्ड आफ राईटस् (जमाबंदी) अनुसार वादग्रस्त आराजी की वर्तमान मे रिकार्डेट खातेदार टिनेन्ट है एवं कब्जा की अवधारणा भी इसके पक्ष मे है, जिससे रिकार्डे खातेदार अप्रार्थी संख्या—3 के विरूद्ध हस्ब धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किया जाना न्यायोचित नही मानता हूँ एवं तीनो बिन्दु प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष मे नही है जिससे उक्त प्रार्थना—पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा काबिल खारिज मानता हूँ।

—: आदेश :—

अतः प्रार्थीगण का यह प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा— 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है। पत्रावली मूल वाद के साथ सलंग्न हो एवं नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देसूरी

निर्णय/आदेश आज दिनांक— 28/11/2018 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, देसूरी
उपखण्ड अधिकारी
देसूरी